

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर (ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी
वाद संख्या

:- श्री अशोक कुमार, आर. ए. एस.
:- 41/2023

उनवान

1. काना पुत्र गोपी
 2. मोहन पुत्र गोपी
 3. प्रेम देवी पत्नि बाबूलाल
 4. रामसिंह पुत्र बाबूलाल
- समस्त व्यस्क जाति रैगर निवासी मनोहरपुर, तह0 शाहपुरा।

बनाम

- वादीगण

1. राजेन्द्र पुत्र भूरामल
2. लिछमा पुत्री भूरामल
जाति रैगर निवासी सामोद तहसील चौमू जिला- जयपुर।
3. तारा देवी पत्नि देवा
4. आंची देवी पुत्री देवा
5. गुडडी पुत्री देवा
6. मोहनी पुत्री देवा
7. सुशीला पुत्री देवा
8. मेवा देवी पुत्री देवा
9. कन्हैयालाल पुत्र घीसाराम
10. भागीरथ पुत्र घीसाराम
11. मीरा देवी पुत्री घीसाराम
12. कमली देवी पुत्री चीमाराम
13. नाथी देवी पुत्री चीमाराम
14. भगवती पत्नि चीमाराम
15. मदनलाल पुत्र चीमाराम
16. कालू पुत्र पोखर (मृतक)
16/1 रामेश्वर पुत्र कालू
16/2 भगवान सहाय पुत्र कालू
16/3 सुरेश पुत्र कालू
16/4 प्रेम देवी पुत्री कालू
16/5 गुलाब देवी पुत्री कालू
16/6 कौशल्या देवी पुत्री कालू
16/7 किरण पुत्री कालू
16/8 रामप्यारी पुत्री कालू
17. कौशल्या पत्नि सतपाल
18. दीपक पुत्र सतपाल
19. गौरा पत्नि रामनाथ
20. श्रवणी पत्नि रामनाथ
21. मुरलीधर पुत्र रामनाथ
22. महेन्द्र पुत्र रामनाथ
23. रोशनलाल पुत्र रामनाथ
24. बिदामी पत्नि ग्यारसा
25. गोमा पुत्री ग्यारसा
26. सुगना पुत्री ग्यारसा
27. सुमित्रा पुत्री ग्यारसा



सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

28. महेश कुमार पुत्र ग्यारसा
29. लालचन्द पुत्र ग्यारसा
30. नाथूलाल पुत्र बालूराम
31. बंशीलाल पुत्र बालूराम
32. बिरदी चन्द पुत्र बालूराम
33. हरिनारायण पुत्र बालूराम
34. धन्नी देवी पुत्री बालूराम
35. मनभरी देवी पत्नि बालूराम
36. फूलचन्द पुत्र प्रभु
37. रतनलाल पुत्र प्रभु
38. रामू पुत्र प्रभु

समस्त वयस्क जाति रैगर निवासी मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जयपुर।

39. राजस्थान सरकार (भू धारक) जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपर, (राज0)।
40. उपपंजीयक अधिकारी उपपंजीयक कार्यालय/मनोहरपुर/शाहपुरा, तहसील-शाहपुरा, जिला जयपुर ग्रामीण, (राज0)।
41. एच.डी.एफ.सी. बैंक लि0 शाखा मनोहरपुर, जिला-जयपुर, राज0।

— प्रतिवादीगण

वाद पत्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट

निर्णय दिनांक :- 8/2/2024

प्रस्तुत वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आराजी खसरा नंबर 7938/8749 रकबा 0.1100, 7942 रकबा 0.2000, 7967/0.1100, 7968/0.1100, 769/0.3700 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.9000 है0 वाकै ग्राम मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है, जिसकी खातेदारी वादी सं0-1 काना का हिस्सा 47/144 व वादी सं0-2 का हिस्सा 47/144, व वादी सं0-3 क हिस्सा 19/120 व वादी सं0-4 का हिस्सा 121/720 हिस्सा तथा शेष प्रतिवादी सं0-1 राजेन्द्र पुत्र भूरामल का हिस्सा 1/96 तथा प्रतिवादी सं0-2 लिछमा पुत्री भूरामल का हिस्सा 1/96 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। हाल आराजी खसरा नंबर 7966/0.2300, 7971/0.02, 7972/0.7900, 7973/0.04, 7974/0.2300, 7975/0.400, 7976/0.1000, 7977/0.0200, 7978/0.1000, 7979/0.1500, 7982/0.1800, 7995/0.1800, 7996/0.3100, 7997/0.027, 7998/0.0800, 7999/0.02, 8000/0.0400, 8001/0.5000, 8002/0.2500, 8004/0.2800, 8005/0.1900, 8006/0.1700, 8007/0.7200 कुल किता 24 कुल रकबा 5.15 है0 वाकै ग्राम मनोहरपुर, तहसील-शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है, जिसकी खातेदारी में वादी सं0-1 का हिस्सा 1/18, वादी सं0-2 का हिस्सा 1/18, वादी संख्या-3 का हिस्सा 1/36 व वादी संख्या-4 का हिस्सा 1/36 तथा शेष प्रतिवादी सं0-3 लगायत 8 व प्रतिवादी संख्या-12 लगायत 38 के नाम तथा प्रतिवादी सं0-9 लगायत 11 की माता घीसी देवी पत्नि घीसाराम फौत हो चुकी है जिसके प्रतिवादी सं0-9 लगायत 11 विधिक वारिसान व उत्तराधिकारी है।

उक्त वर्णित आराजी का आपसी सहमति से बाहमी बंटवारा वादीगण एवं प्रतिवादी सं0-1 लगायत 8 व प्रतिवादी सं0-12 लगायत 38 के तथा प्रतिवादी सं0-9 लगायत 11 की माता घीसी देवी के मध्य काफी वर्ष पूर्व हो चुका है। उक्त बाहमी बंटवारे के अनुसार वाद पत्र के जिमन नं0-1 में वर्णित आराजी खसरा नंबर में से आराजी खसरा नंबर 7938/8749 रकबा 0.1100, 7942 रकबा 0.2000, 7968/0.1100, 7969/0.3700 है0 कुल रकबा 0.8811 है0 सम्पूर्ण तथा खसरा नं0-7967 रकबा 0.1100 है0 में से 0.0912 है0 भूमि आयी हुई है तथा शेष भूमि प्रतिवादी सं0-1,2 के बंटवारे में आयी हुई है तथा वाद पत्र के जिमन नं0-2 में वर्णित खसरा नम्बरान् में से खसरा नंबर 7971 रकबा 0.02, 7972 रकबा 0.7900, 7973 रकबा 0.04 है0 तथा खसरा नंबर 7974 रकबा 0.23 है0 में से 0.0082 है0 जो हाल खसरा नंबर 7973 के लगती हुई बंटवारे में आयी हुई है, जिस पर वादीगण बाहमी बंटवारे के समय से ही

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.



काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं और वादीगण ने बाहमी बंटवारे में आयी भूमि को समतल करने व उसकी उपज बढ़ाने में काफी रूपये खर्च किये हैं शेष भूमि प्रतिवादीगण के बाहमी बंटवारे में आयी हुई है।

प्रतिवादीगण एक संगठित ताकतवर व झगडालू प्रवृत्ति के व राजनैतिक पहुंच वाले धनबल व भूजवाले व्यक्ति हैं जिन्होंने वादी के विरुद्ध एक नाजायज संगठन बना रखा है व वादी को उसके हिस्से व कब्जे की भूमि से जबरन बेदखल कर स्वयं कब्जा करना व भूमि में बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति व बिना कानूनी बंटवारा कराये पुख्ता निर्माण कार्य करना चाहते हैं, जिसकी उन्होंने वादी को कुछ दिन पूर्व धमकी दी। वादी ने प्रतिवादीगण को उपरोक्त भूमि का मौके पर काबिज काश्त के अनुसार कानूनी बंटवारा कराने व उसका राज लगान निर्धारण करवाने हेतु कहा तो उससे भी प्रतिवादीगण इनकार हो गये बल्कि वादी को उसके कब्जे काश्त की भूमि से जबरन बेदखल करने व बिना बंटवारा कराये विशिष्ट भू-भाग पर पुख्ता निर्माण कार्य करने व भूमि को अन्य दीगर को रहन विक्रय हस्तान्तरण करने की धमकी दी इसलिये वादी को प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।

यह कि यदि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो वे प्रश्नगत भूमि से वादी को उसके हिस्से से जबरन बेदखल कर स्वयं कब्जा करने व बिना कानूनी बंटवारा कराये आराजी के विशिष्ट भू-भाग पर पुख्ता निर्माण कार्य करने व अन्य दीगर को रहन विक्रय हस्तान्तरण करने से राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन करवाने में सफल हो जावेगे जिससे वादी को अकथनीय हानि होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी धक्कापिटा में नहीं की जा सकेगी व अनावश्यक मुकदमें बाजी बढ़ेगी।

अन्त में निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नंबर 7938/8749 रकबा 0.1100, 7942 रकबा 0.2000, 7967/0.1100, 7968/0.1100, 769/0.3700 है 0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.9000 है 0 वाकै ग्राम मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर एवं आराजी खसरा नंबर 7966/0.2300, 7971/0.02, 7972/0.7900, 7973/0.04, 7974/0.2300, 7975/0.400, 7976/0.1000, 7977/0.0200, 7978/0.1000, 7979/0.1500, 7982/0.1800, 7995/0.1800, 7996/0.3100, 7997/0.27, 7998/0.0800, 7999/0.02, 8000/0.0400, 8001/0.5000, 8002/0.2500, 8004/0.2800, 8005/0.1900, 8006/0.1700, 8007/0.7200 कुल किता 24 कुल रकबा 5.15 है 0 वाकै ग्राम मनोहरपुर, तहसील-शाहपुरा, जिला जयपुर का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य वाद पत्र के जिमन नंबर 3 में वर्णित अनुसार बाहमी बंटवारे के अनुसार बंटवारा किया जावे अन्यथा में रेवेन्यू बोर्ड के नियमानुसार बंटवारा किया जाकर उक्त बंटवारे का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाया जावे एवं बंटवारे में आयी भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण उनके नौकर, प्रतिनिधि, एजेन्ट, स्थानापन्नों व अन्य परिवारजन को जरिये स्थायी निषेधाज्ञाय से सदैव के लिये पाबन्द फरमाया जावे कि वादी के हिस्से व कब्जे में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करे बल्कि वादी को शांति पूर्वक काबिज रहकर उपयोग उपभोग करने दे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधीवत सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 21, 23 लगा 28, व 30 लगा 38 बावजूद तामील के उपस्थित नहीं आये। अतः इनके विरुद्ध दिनांक 19.07.2023 के एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी द्वारा प्रार्थना-पत्र आदेश 22 नियम 4 151 सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 16 दौराने वाद फौत हो चुका है, वकील वादी को सुना गया तथा प्रार्थना-पत्र आदेश 22 नियम 4 स्वीकार किया गया। वकील वादी द्वारा प्रकरण में संशोधित टाईटल पेश किया गया। दिनांक 27.07.2023 को प्रकरण में वकील वादी द्वारा प्राथमिक डिक्री का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत जाहिर आया कि प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है, प्रतिवादी संख्या 29 व 22 पूर्व में उपस्थित हो चुके हैं तथा अपने पक्ष में जवाब दावा पेश नहीं किया है। अतः प्रकरण में प्रकरण को दिनांक 27.07.2023 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार, तहसील शाहपुरा को बंटवारा रिपोर्ट प्रस्ताव भिजवाने बाबत आदेशित किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार, तहसील शाहपुरा के पत्रांक/भू0अ0/2024/361 दिनांक 30.01.2024 के द्वारा प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव प्रेषित किया गया। तहसीलदार, तहसील शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव/कुर्रैजात रिपोर्ट पर वकील वकील वादी को सुना गया। वकील वादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि बंटवारा/कुर्रैजात रिपोर्ट सही होने से दावा अंतिम डिक्री किया जाना उचित है। वकील वादी की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली व प्राप्त बंटवारा/कुर्रैजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट में राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार बंटवारा रिपोर्ट सही होना प्रतीत होती है। अतः दावा अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप वादीगण का दावा कुर्रैजात रिपोर्ट के आधार पर ग्राम मनोहरपुर तहसील शाहपुरा के आराजी खसरा नम्बर 7938/8749 रकबा 0.1100, 7942 रकबा 0.2000, 7967/0.1100, 7968/0.1100, 769/0.3700 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.9000 है0 एवं आराजी खसरा नंबर 7966/0.2300, 7971/0.02, 7972/0.7900, 7973/0.04, 7974/0.2300, 7975/0.400, 7976/0.1000, 7977/0.0200, 7978/0.1000, 7979/0.1500, 7982/0.1800, 7995/0.1800, 7996/0.3100, 7997/0.027, 7998/0.0800, 7999/0.02, 8000/0.0400, 8001/0.5000, 8002/0.2500, 8004/0.2800, 8005/0.1900, 8006/0.1700, 8007/0.7200 कुल किता 24 कुल रकबा 5.15 है0 है0 भूमि का पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता है :-

1. कानाराम, मोहनलाल पुत्रान गोपी हि0 2/3, प्रेमदेवी पत्नि बाबूलाल हि0 38/235, रामसिंह पुत्र बाबूलाल हि0 121/705 जाति रैगर सा0 देह के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 7938/8749 रकबा 0.1100 है0, 7942 रकबा 0.2000 है0, 7967 रकबा 0.1100 है0, 7969 रकबा 0.3700 है0 कुल किता 04 कुल रकबा 0.7900 है0 भूमि रहेगी।
2. कानाराम, मोहनलाल पुत्रान गोपी हिस्सा 152/275, प्रेमदेवी पत्नि बाबूलाल हिस्सा 3477/25850, रामसिंह पुत्र बाबूलाल हिस्सा 671/4700, राजेन्द्र पुत्र भूरामल, लिछमा पुत्री भूरामल हिस्सा 374/2200 जाति रैगर सा0 देह के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 7968 रकबा 0.1100 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.1100 है0 भूमि रहेगी।
3. कानाराम, मोहनलाल पुत्रान गोपी हिस्सा 2/3, प्रेमदेवी पत्नि बाबूलाल, रामसिंह पुत्र बाबूलाल हिस्सा 1/3 जाति रैगर सा0 देह के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 7971 रकबा 0.0200 है0, 7972/2 रकबा 0.6840 है0, 7973/2 रकबा 0.0310 है0, 8007/2 रकबा 0.0834 है0 कुल किता 04 कुल रकबा 0.8184 है0 भूमि रहेगी।
4. नाथूलाल, बंशीलाल, बिरदीचन्द, हरिनारायण पुत्रान बालूराम, धन्नीदेवी, मनभरी देवी पुत्रीयान बालूराम हि0 80 जाति रैगर सा0 देह के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 7974/2 रकबा 0.2050 है0, 7975 रकबा 0.1400 है0, 7976 रकबा 0.1000 है0, 7977 रकबा 0.0200 है0, 7966 रकबा 0.2300 है0, 8007/1 रकबा 0.1234 है0 कुल किता 06 कुल रकबा 0.8184 है0 भूमि रहेगी।
5. कन्हैयालाल, भागीरथ पुत्रान घीसाराम, घीसीदेवी पत्नि घीसाराम, मीरा पुत्र घीसाराम हि0 4/25, कौशल्यादेवी पत्नि सतपाल, दीपक पुत्र सतपाल हि0 1/25, फूलचन्द, रतनलाल पुत्रान प्रभु हि0 1/5, रामू पुत्र चूना हि0 1/5, गौरा पत्नि रामनाथ, श्रवणी पत्नि रामनाथ, मुरलीधर, महेन्द्रकुमार, रोशनलाल पुत्रान रामनाथ हि0 1/5, बिदामी पत्नि ग्यारसा, गोमा, सुगना, सुमित्रा पुत्रीयान ग्यारसा, महेशकुमार, लालचन्द पुत्रान ग्यारसा हि0 1/5 जाति रैगर सा0 देह के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 7979 रकबा 0.1500 है0, 7998 रकबा 0.0800 है0, 7999 रकबा 0.0200 है0, 8003 रकबा 0.1400, 8004 रकबा 0.2800 है0, 8005 रकबा 0.



सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

- 1900 है0, 8006 रकबा 0.1700 है0, 8007/3 रकबा 0.5132, 7997/1 रकबा 0.0934 है0 कुल किता 09 कुल रकबा 1.6366 है0 भूमि रहेगी।
6. कालू पुत्र पोखर हि0 1/2, भगवतीदेवी पत्नि स्व0 चीमाराम, कमलीदेवी, नाथीदेवी पुत्रीयान् चीमाराम, मदनलाल पुत्र चीमाराम हि0 1/2 जाति रैगर सा0 देह के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 7982 रकबा 0.1800, 7996 रकबा 0.3100 है0, 7997/2 रकबा 0.1766 है0, 8000 रकबा 0.0400 है0, 8001 रकबा 0.3845 है0 भूमि रहेगी।
7. तारादेवी पत्नि देवा, आंची, गुड्डी, मीरा, मोहनी, सुशीला पुत्रीयान् देवा हि0 ब0 जाति रैगर सा0 देह के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 7995 रकबा 0.1800 है0, 8001/1 रकबा 0.1155 है, 8002/0.2500 है0 कुल किता 03 कुल रकबा 0.5455 है0 भूमि रहेगी।
8. शामलाती नाम व हिस्सा मुताबिक जमाबन्दी बदस्तुर के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 7972/1 रकबा 0.1060 है0, 7973/1 रकबा 0.0090 है0, 7974/1 रकबा 0.0250, 7978 रकबा 0.1000 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.2400 है0 भूमि रहेगी।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट एवं सलंगन नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा। साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक-दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो। पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 8/2/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।



(अशोक कुमार)
सहायक कलेक्टर (फासद ट्रेक)
शाहपुरा (जिला-जयपुर)
शाहपुरा, जिला जयपुर, ग्रामीण

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर (ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :- श्री अशोक कुमार , आर. ए. एस.
वाद संख्या :- 41/2023

उनवान

- 1 काना पुत्र गोपी
 - 2 मोहन पुत्र गोपी
 - 3 प्रेम देवी पत्नि बाबूलाल
 - 4 रामसिंह पुत्र बाबूलाल
- समस्त व्यस्क जाति रैगर निवासी मनोहरपुर, तह0 शाहपुरा।

- वादीगण

बनाम

1. राजेन्द्र पुत्र भूरामल
2. लिछमा पुत्री भूरामल
जाति रैगर निवासी सामोद तहसील चौमू, जिला- जयपुर।
3. तारा देवी पत्नि देवा
4. आंची देवी पुत्री देवा
5. गुडडी पुत्री देवा
6. मोहनी पुत्री देवा
7. सुशीला पुत्री देवा
8. मेवा देवी पुत्री देवा
9. कन्हैयालाल पुत्र घीसाराम
10. भागीरथ पुत्र घीसाराम
11. मीरा देवी पुत्री घीसाराम
12. कमली देवी पुत्री चीमाराम
13. नाथी देवी पुत्री चीमाराम
14. भगवती पत्नि चीमाराम
15. मदनलाल पुत्र चीमाराम
16. कालू पुत्र पोखर (मृतक)
16/1 रामेश्वर पुत्र कालू
16/2 भगवान सहाय पुत्र कालू
16/3 सुरेश पुत्र कालू
16/4 प्रेम देवी पुत्री कालू
16/5 गुलाब देवी पुत्री कालू
16/6 कौशल्या देवी पुत्री कालू
16/7 किरण पुत्री कालू
16/8 रामप्यारी पुत्री कालू
17. कौशल्या पत्नि सतपाल
18. दीपक पुत्र सतपाल
19. गौरा पत्नि रामनाथ
20. श्रवणी पत्नि रामनाथ
21. मुरलीधर पुत्र रामनाथ



सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

22. महेन्द्र पुत्र रामनाथ
23. रोशनलाल पुत्र रामनाथ
24. बिदामी पत्नि ग्यारसा
25. गोमा पुत्री ग्यारसा
26. सुगना पुत्री ग्यारसा
27. सुमित्रा पुत्री ग्यारसा
28. महेश कुमार पुत्र ग्यारसा
29. लालचन्द पुत्र ग्यारसा
30. नाथूलाल पुत्र बालूराम
31. बंशीलाल पुत्र बालूराम
32. बिरदी चन्द पुत्र बालूराम
33. हरिनारायण पुत्र बालूराम
34. धन्नी देवी पुत्री बालूराम
35. मनभरी देवी पत्नि बालूराम
36. फूलचन्द पुत्र प्रभु
37. रतनलाल पुत्र प्रभु
38. रामू पुत्र प्रभु



- समस्त वयस्क जाति रैगर निवासी मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जयपुर।
39. राजस्थान सरकार (भू धारक) जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर, (राज0)।
 40. उपपंजीयक अधिकारी उपपंजीयक कार्यालय/मनोहरपुर/शाहपुरा, तहसील-शाहपुरा, जिला जयपुर ग्रामीण, (राज0)।
 41. एच.डी.एफ.सी. बैंक लि0 शाखा मनोहरपुर, जिला-जयपुर, राज0।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट

निर्णय दिनांक :- 8/2/2024

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप वादीगण का दावा कुर्रैजात रिपोर्ट के आधार पर ग्राम मनोहरपुर तहसील शाहपुरा के आराजी खसरा नम्बर 7938/8749 रकबा 0.1100, 7942 रकबा 0.2000, 7967/0.1100, 7968/0.1100, 769/0.3700 है0 कुल कित्ता 5 कुल रकबा 0.9000 है0 एवं आराजी खसरा नंबर 7966/0.2300, 7971/0.02, 7972/0.7900, 7973/0.04, 7974/0.2300, 7975/0.400, 7976/0.1000, 7977/0.0200, 7978/0.1000, 7979/0.1500, 7982/0.1800, 7995/0.1800, 7996/0.3100, 7997/0.027, 7998/0.0800, 7999/0.02, 8000/0.0400, 8001/0.5000, 8002/0.2500, 8004/0.2800, 8005/0.1900, 8006/0.1700, 8007/0.7200 कुल कित्ता 24 कुल रकबा 5.15 है0 है0 भूमि का पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता है :-

1. कानाराम, मोहनलाल पुत्रान गोपी हि0 2/3, प्रेमदेवी पत्नि बाबूलाल हि0 38/235, रामसिंह पुत्र बाबूलाल हि0 121/705 जाति रैगर सा0 देह के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 7938/8749 रकबा 0.1100 है0, 7942 रकबा 0.2000 है0, 7967 रकबा 0.1100 है0, 7969 रकबा 0.3700 है0 कुल कित्ता 04 कुल रकबा 0.7900 है0 भूमि रहेगी।
2. कानाराम, मोहनलाल पुत्रान गोपी हिस्सा 152/275, प्रेमदेवी पत्नि बाबूलाल हिस्सा 3477/25850, रामसिंह पुत्र बाबूलाल हिस्सा 671/4700, राजेन्द्र पुत्र भूरामल,

सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

लिछमा पुत्री भूरामल हिस्सा 374/2200 जाति रैगर सा0 देह के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 7968 रकबा 0.1100 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.1100 है0 भूमि रहेगी।

3. कानाराम, मोहनलाल पुत्रान गोपी हिस्सा 2/3, प्रेमदेवी पत्नि बाबूलाल, रामसिंह पुत्र बाबूलाल हिस्सा 1/3 जाति रैगर सा0 देह के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 7971 रकबा 0.0200 है0, 7972/2 रकबा 0.6840 है0, 7973/2 रकबा 0.0310 है0, 8007/2 रकबा 0.0834 है0 कुल किता 04 कुल रकबा 0.8184 है0 भूमि रहेगी।
4. नाथूलाल, बंशीलाल, बिरदीचन्द, हरिनारायण पुत्रान बालूराम, धन्नीदेवी, मनमरी देवी पुत्रीयान बालूराम हि0 ब0 जाति रैगर सा0 देह के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 7974/2 रकबा 0.2050 है0, 7975 रकबा 0.1400 है0, 7976 रकबा 0.1000 है0, 7977 रकबा 0.0200 है0, 7966 रकबा 0.2300 है0, 8007/1 रकबा 0.1234 है0 कुल किता 06 कुल रकबा 0.8184 है0 भूमि रहेगी।
5. कन्हैयालाल, भागीरथ पुत्रान घीसाराम, घीसीदेवी पत्नि घीसाराम, मीरा पुत्र घीसाराम हि0 4/25, कौशल्यादेवी पत्नि सतपाल, दीपक पुत्र सतपाल हि0 1/25, फूलचन्द, रतनलाल पुत्रान प्रभु हि0 1/5, रामू पुत्र चूना हि0 1/5, गौरा पत्नि रामनाथ, श्रवणी पत्नि रामनाथ, मुरलीधर, महेन्द्रकुमार, रोशनलाल पुत्रान रामनाथ हि0 1/5, बिदामी पत्नि ग्यारसा, गोमा, सुगना, सुमित्रा पुत्रीयान ग्यारसा, महेशकुमार, लालचन्द पुत्रान ग्यारसा हि0 1/5 जाति रैगर सा0 देह के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 7979 रकबा 0.1500 है0, 7998 रकबा 0.0800 है0, 7999 रकबा 0.0200 है0, 8003 रकबा 0.1400, 8004 रकबा 0.2800 है0, 8005 रकबा 0.1900 है0, 8006 रकबा 0.1700 है0, 8007/3 रकबा 0.5132, 7997/1 रकबा 0.0934 है0 कुल किता 09 कुल रकबा 1.6366 है0 भूमि रहेगी।
6. कालू पुत्र पोखर हि0 1/2, भगवतीदेवी पत्नि स्व0 चीमाराम, कमलीदेवी, नाथीदेवी पुत्रीयान् चीमाराम, मदनलाल पुत्र चीमाराम हि0 1/2 जाति रैगर सा0 देह के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 7982 रकबा 0.1800, 7996 रकबा 0.3100 है0, 7997/2 रकबा 0.1766 है0, 8000 रकबा 0.0400 है0, 8001 रकबा 0.3845 है0 भूमि रहेगी।
7. तारादेवी पत्नि देवा, आंची, गुड्डी, मीरा, मोहनी, सुशीला पुत्रीयान् देवा हि0 ब0 जाति रैगर सा0 देह के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 7995 रकबा 0.1800 है0, 8001/1 रकबा 0.1155 है, 8002/0.2500 है0 कुल किता 03 कुल रकबा 0.5455 है0 भूमि रहेगी।
8. शामलाती नाम व हिस्सा मुताबिक जमाबन्दी बदस्तुर के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 7972/1 रकबा 0.1060 है0, 7973/1 रकबा 0.0090 है0, 7974/1 रकबा 0.0250, 7978 रकबा 0.1000 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.2400 है0 भूमि रहेगी।



सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट एवं सलंगन नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा। साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिए जरिये रथाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक-दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसेल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 8/2/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।



(अशोक कुमार)
सहायक क्लर्क
सहायक क्लर्क (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा, जिला-जयपुर, ग्रामीण

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह - व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामिल कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	